

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

- | | |
|--|--|
| 1.आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 कानपुर। | 2. समस्त मण्डलायुक्त,
उ0प्र0। |
| 3.समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0। | 4.अपर आयुक्त,
निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ। |

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4

लखनऊ दिनांक 07 मार्च,2018

विषय-“एक जनपद एक उत्पाद” योजना के क्रियान्वयन के सम्बंध में जनपदवार चिन्हित उत्पादों की सूची।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-123/18-4-18-18(विविध)/(17टी0सी0, दिनांक 25.01.2018 के क्रम में “एक जनपद एक उत्पाद” योजना के क्रियान्वयन के सम्बंध में जनपदवार चिन्हित उत्पादों की सूची संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या--221(1)/18-4-2018 तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, संस्कृति, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, न्याय उ0प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है। अतः पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्र०सं०	जनपद	चिन्हित उत्पाद	क्र०सं०	जनपद	चिन्हित उत्पाद
1.	अमरोहा	वाद्य यंत्र (ढोलक)	39.	बस्ती	काष्ठ शिल्प (वुड क्राफ्ट)
2.	अमेठी	मूँज उत्पाद	40.	बहराइच	गेहूँ के डंठल की कलाकृतियों
3.	अलीगढ़	ताले एवं हार्डवेयर	41.	बागपत	घरेलू सजावटी सामान
4.	अम्बेडकर नगर	वस्त्र उत्पाद	42.	बाराबंकी	हथकरघा उत्पाद
5.	आगरा	चमड़े के उत्पाद	43.	बांदा	शज़र पत्थर शिल्प
6.	आज़मगढ़	काली मिट्टी की कलाकृतियों	44.	बिजनौर	काष्ठ शिल्प (वुड क्राफ्ट)
7.	इटवा	वस्त्र	45.	बुलन्दशहर	चीनी मिट्टी के बर्तन
8.	इलाहाबाद	मूँज उत्पाद	46.	मऊ	वस्त्र उत्पाद
9.	उन्नाव	ज़री-ज़रदोजी	47.	मथुरा	स्वच्छता सम्बंधी उपकरण
10.	एटा	घुंघरू, घंटी	48.	महराजगंज	फर्नीचर
11.	औरैया	दूध प्रसंस्करण (देशी घी)	49.	महोबा	गौरा पत्थर शिल्प
12.	कन्नौज	इत्र	50.	मिर्ज़ापुर	कालीन
13.	कानपुर देहात	जस्ते के बर्तन	51.	मुज़फ्फरनगर	गुड़
14.	कानपुर नगर	चमड़े के उत्पाद	52.	मुरादाबाद	धातु शिल्प
15.	कासगंज	ज़री-ज़रदोजी	53.	मेरठ	खेल का सामान
16.	कुशीनगर	केले के रेशे से बने उत्पाद	54.	मैनपुरी	तारकशी कला
17.	कौशाम्बी	खाद्य प्रसंस्करण (केला)	55.	रामपुर	पैचवर्क
18.	गाज़ियाबाद	यांत्रिकी उत्पाद	56.	रायबरेली	काष्ठ शिल्प (वुड क्राफ्ट)
19.	गाजीपुर	जूट वॉल हैंगिंग्स	57.	लखनऊ	चिकनकारी एवं जरी ज़रदोजी
20.	गोरखपुर	मिट्टी के बर्तन (टेराकोटा)	58.	लखीमपुर खीरी	जनजातीय शिल्प (ट्राइबल क्राफ्ट)
21.	गोण्डा	खाद्य प्रसंस्करण (दाल)	59.	ललितपुर	ज़री सिल्क साड़ी
22.	गौतमबुद्धनगर	सिले-सिलाए वस्त्र	60.	वाराणसी	रेशम उत्पाद
23.	चित्रकूट	लकड़ी के खिलौने	61.	शामली	रिम एवं धुरा (एक्सेल)
24.	चन्दौली	ज़री-ज़रदोजी	62.	शाहजहाँपुर	ज़री-ज़रदोजी
25.	जालौन	हस्त निर्मित कागज	63.	श्रावस्ती	जनजातीय शिल्प (ट्राइबल क्राफ्ट)
26.	जौनपुर	ऊनी दरी	64.	सम्भल	सींग एवं अस्थि उत्पाद
27.	झांसी	कोमल खिलौने (सॉफ्ट ट्वॉयज)	65.	सहारनपुर	काष्ठ शिल्प (वुडकार्विंग)
28.	देवरिया	सजावटी उत्पाद	66.	सिद्धार्थनगर	खाद्य प्रसंस्करण (काला नमक चावल)
29.	पीलीभीत	बांसुरी	67.	सीतापुर	दरी
30.	प्रतापगढ़	खाद्य प्रसंस्करण (आँवला)	68.	सुल्तानपुर	मूँज उत्पाद
31.	फतेहपुर	बेडशीट	69.	सोनभद्र	कालीन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

32.	फ़र्रूखाबाद	ब्लॉक प्रिंटिंग	70.	संत कबीर नगर	पीतल के बर्तन
33.	फिरोजाबाद	कांच उत्पाद	71.	संत रविदास नगर(भदोही)	कालीन
34.	फैजाबाद	गुड	72.	हमीरपुर	जूती
35.	बदायूँ	ज़री-ज़रदोजी	73.	हरदोई	हथकरघा
36.	बरेली	ज़री-ज़रदोजी	74.	हाथरस	हींग प्रसंस्करण
37.	बलरामपुर	खाद्य प्रसंस्करण (दाल)	75.	हापुड	घरेलू सजावटी सामान
38.	बलिया	बिन्दी			

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।